संख्या-69/2016/836/12-3-2016-100(16)/2015

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: ०३ जून, 2016**

विषय- जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक-भू0सं0/बाढ़ों0यो0/31/हमीरपुर/ जै0वि0यो0/2016-17, दिनांक 26.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद-हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की त्रिवर्षीय योजना क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजना का उद्देश्य/ कार्यक्षेत्र/किये जाने वाले कार्यो/पात्रता/देय अनुदान का विवरण निम्नवत् है:-

1- योजना के उद्देश्य **-**

- पर्यावरण संतुलन को कायम रखते हुए कम लागत वाली कृषि तकनीकी अपनाकर खेती करना।
- रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन।
- कृषि को लाभकारी बनाना एवं कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार कर खेती को सम्मानजनक बनाना।
- जैविक खेती अपनाकर कृषि उत्पादन को स्थायित्व प्रदान करना।
- कृषि निवेशों के मामले में किसान को आत्मनिर्भर बनाना।

2- योजना का कार्यक्षेत्र **-**

जनपद हमीरपुर में कुल चार तहसीलें हमीरपुर, मौदहा, राठ एवं सरीला हैं। जनपद में कुल 7 विकास खण्ड क्रमश: कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा, मुस्करा, राठ, गोहाण्ड एवं सरीला हैं। जनपद में कुल 59 न्याय पंचायतें व 339 ग्राम पंचायतें हैं। जनपद में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी सात विकास खण्डों के 140 ग्राम पंचायतों

http://shasanadesh.up.nic.in

में 140 क्लस्टर (7000 एकड़) में जैविक खेती का कार्य कराया जायेगा। योजना के प्रारम्भिक चरण में समस्त विकास खण्डों में जैविक खेती के कार्य को क्रियान्वित करके आगामी वषोर्ं में जनपद के समस्त कृषि क्षेत्र को जैविक खेती के अन्तर्गत आच्छादित किया जायेगा।

3- योजना के अन्तर्गत क्षेत्र चयन **-**

योजना के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्र चयन का आधार निम्नवत होगा :-

- वर्षा आधारित क्षेत्र जहां सिंचन सुविधाओं की कमी है।
- न्यून सिंचित क्षेत्र।
- कम कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्र।
- कम उर्वरक उपभोग करने वाले क्षेत्र।
- वे क्षेत्र जहां पर किसान परम्परागत ढंग से खेती कर रहे हैं।
- लघु/सीमान्त कृषकों की अधिकता वाले क्षेत्र।

4- योजना का कार्यकाल **-**

योजना वर्ष 2016-17 *से प्रारम्भ होकर वर्ष* 2018-19 *तक कार्यान्वित की जायेगी। योजना के अन्तर्गत जैविक खेती के विकास हेतु तीन वष्ा्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा।*

5- कृषकों के चयन हेतु पात्रता एवं क्लस्टर का गठन **-**

योजना के क्रियान्वयन हेतु 50-50 एकड़ का क्लस्टर बनाया जायेगा। प्रत्येक क्लस्टर का गठन इस प्रकार किया जायेगा कि 50 एकड़ क्षेत्र संहत रूप मे हो। योजना के अन्तर्गत कृषको का चयन उनकी इच्छुकता के आधार पर किया जायेगा। सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भारत की सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली (पी0जी0एस0-इण्डिया) एवं योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

6- योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण **&**

क्र0 सं0	विकास खण्ड	कुल ग्राम पंचायतों की सं0	प्रस्तावित क्षेत्रफल एकड़ में	प्रस्तावित क्लस्टर की सं0 (50 एकड़ प्रति क्लस्टर)	जैविक खेती हेतु प्रस्तावित परिव्यय (लाख रू0 में)			
					प्रथम वर्ष (2016-17)	द्वितीय वर्ष (2017-18)	तृतीय वर्ष (2018-19)	कुल परिव्यय
1	कुरारा	42	1000	20	141.348	99.734	57.918	299.000
2	सुमेरपुर	58	1000	20	141.348	99.734	57.918	299.000
3	मौदहा	66	1000	20	141.348	99.734	57.918	299.000
4	मुस्करा	37	1000	20	141.348	99.734	57.918	299.000

http://shasanadesh.up.nic.in

5	राठ	42	1000	20	141.348	99.734	57.918	299.000
6	गोहाण्ड	49	1000	20	141.348	99.734	57.918	299.000
7	सरीला	45	1000	20	141.348	99.734	57.918	299.000
योग-		**339**	**7000**	**140**	**989.436**	**698.138**	**405.426**	**2093.000**
परियोजना प्रबन्धन व्यय-					**10.564**	**6.862**	**3.574**	**21.000**
महायोग-					**1000.000**	**705.000**	**409.000**	**2114.000**

7- योजना के अन्तर्गत कृषकों को देय अनुदान **-**

योजना के अन्तर्गत जैविक खेती हेतु 50-50 *एकड़ का क्लस्टर गठित किया जायेगा। प्रत्येक क्लस्टर की योजनावधि* 3 *वर्ष होगी। प्रत्येक क्लस्टर पर प्रथम वर्ष में* रू0 7,06,740/-, *द्वितीय वर्ष में* 4,98,670/- *एवं तृतीय वर्ष में* रू0 2,89,590/- *कुल* रू0 14,95,000/- *जैविक खेती हेतु कृषकों को देय सुविधा एवं प्रमाणीकरण पर व्यय किया जायेगा। कृषकों द्वारा पी0जी0एस0 इण्डिया के अतिरिक्त अन्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से भी उत्पादों का प्रमाणीकरण कराया जा सकेगा। एक कृषक को अधिकतम* 1 *हे0 क्षेत्र के लिये अनुदान अनुमन्य होगा।*

8- योजना के अन्तर्गत कृषकों को देय सहायता के भुगतान की प्रक्रिया **-**

समस्त भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किया जायेगा। कृषकों को दी जाने वाली सहायता डी.बी.टी. के अन्तर्गत आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी।

9- योजना का क्रियान्वयन **-**

योजना का क्रियान्वयन क्लस्टर आधारित एवं भारत की सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली (पी0जी0एस0-इण्डिया) के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। पी0जी0एस0-इण्डिया की गाइडलाइन राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र (एन.सी.ओ.एफ.) द्वारा निर्गत की गयी है।

- योजना का क्रियान्वयन जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
- जनपद स्तर पर कार्यों के निष्पादन हेतु उप कृषि निदेशक नोडल अधिकारी होंगे।
- मण्डल स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक उत्तरदायी होंगे।
- राज्य स्तर पर कार्यक्रम का संचालन कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के मार्ग निर्देशन में योजना के नोडल अधिकारी द्वारा अपर कृषि निदेशक (चावल/एन0एम0एस0ए0) के पर्यवेक्षण में किया जायेगा, जो योजना के निर्देशानुसार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा **-**

कार्यक्रम के प्रगति की अनुश्रवण एवं समीक्षा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त, राज्य स्तर पर कृषि निदेशक द्वारा एवं शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, कृषि द्वारा मासिक रूप से की जायेगी।

11- योजना का मिड टर्म इवैल्यूशन थर्ड पार्टी से कराया जायेगा तथा लाभार्थियों का विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा।

2- कृपया उपरोक्तानुसार कार्ययोजना के क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या-836(1)/12-3-16-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(2)- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3)- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4)- मण्डलायुक्त, चित्रकूट धाम, मण्डल।
(5)- जिलाधिकारी, जनपद-हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।
(6)- अपर कृषि निदेशक (एन.एम.एस.ए.), कृषि भवन, लखनऊ।
(7)- नोडल अधिकारी (जैविक खेती), कृषि भवन, लखनऊ।
(8)- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सी0 पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in